भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2725
(04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन-ग्रामीण के अंतर्गत कार्य दिवस

2725. श्री ज्ञानेश्वर पाटील:

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार विकसित भारत-रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन-ग्रामीण (वीबी-जीराम-जी) के अंतर्गत कार्य दिवसों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का मध्य प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी रोजगार सृजित करने के लिए कोई नया कार्यक्रम आरंभ करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत मध्य प्रदेश में महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) अधिनियम, 2025 के लागू होने के फलस्वरूप, यह योजना 01.07.2026 से पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है। वीबी-जी राम जी, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिलने वाले एक सौ दिन के गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के सापेक्ष, प्रत्येक ऐसे ग्रामीण परिवार को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हो, एक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन के मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान करता है। यह नई योजना मध्य प्रदेश राज्य में भी 01.07.2026 से सफलतापूर्वक लागू कर दी गई है और राज्य के लिए ₹6,252.03 करोड़ का अंतरिम आवंटन प्रदान किया गया है। इसके पश्चात, प्राप्त

प्रस्ताव के आधार पर विभिन्न घटकों के तहत केंद्रीय अंश की पहली किस्त के रूप में राज्य को ₹630.76 करोड़ की मूल स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 5(4) के तहत, राज्य सरकारें अपने स्वयं के संसाधनों से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से परे रोजगार के अतिरिक्त दिवस प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।

इस अधिनियम का उद्देश्य टिकाऊ परिसंपत्तियों के सृजन और अधिनियम की अनुसूची I में निर्दिष्ट स्वीकार्य कार्यों, अर्थात् जल-संबंधित कार्य, मुख्य ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका-संबंधित बुनियादी ढांचा और खराब मौसमी घटनाओं को कम करने के लिए विशेष कार्यों के कार्यान्वयन के माध्यम से सतत ग्रामीण आजीविका को मजबूत करना भी है। इन प्रावधानों का उद्देश्य आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना, ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और टिकाऊ ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना है।

(ग): दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), ग्रामीण विकास मंत्रालय का एक प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है, जिसे मध्य प्रदेश सहित 34 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 760 जिलों और 7,246 ब्लॉकों में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (एसआरएलएम) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। जून 2026 की स्थिति के अनुसार, इस मिशन ने लगभग 10.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों को लगभग 92 लाख स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित किया है।

डीएवाई-एनआरएलएम के मौजूदा प्रावधानों के तहत, आय-सृजन और आजीविका गतिविधियों, उद्यमी उपक्रमों सहित की सहायता करने के लिए पात्र एसएचजी को प्रति स्व-सहायता समूह ₹20,000 से ₹30,000 के परिक्रामी निधि और प्रति स्व-सहायता समूह ₹2.50 लाख तक के सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) के रूप में पूंजीगत सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, पात्र स्व-सहायता समूहों को बैंक ऋणों पर ब्याज छूट उपलब्ध कराई जाती है। ₹3 लाख तक के ऋणों के लिए, बैंक 7% प्रति वर्ष की रियायती ब्याज दर पर ऋण प्रदान करते हैं। ₹3 लाख से अधिक और ₹5 लाख तक के ऋणों के लिए, बैंक अपनी एक वर्षीय निधि-आधारित ऋण दर (एमसीएलआर) की सीमांत लागत या किसी अन्य बाहरी बेंचमार्क-आधारित ऋण दर या 10% प्रति वर्ष, जो भी कम हो के बराबर ब्याज दर पर ऋण देते हैं। संचयी रूप से, इस मिशन के तहत स्व-सहायता समूहों को ₹13.41 लाख करोड़ के ऋण संवितरित किए गए हैं। ये लाभ, योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, मध्य प्रदेश के एसएचजी सहित सभी पात्र स्व-सहायता समूहों को उपलब्ध हैं।